>

Title: Need to provide compensation to the farmers whose lands have been acquired by the Coal India Limited (WCL).

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जहां कृषि भूमि होती है, यदि उसका अधिग्रहण किसी उद्योग के लिए किया जाता है, तो जिन किसानों की भूमि ली जाती है, उन्हें उसका उचित मूल्य नहीं दिया जाता है।

महोदया, अभी कोल इंडिया लि. द्वारा जिन किसानों की भूमि अधिगृहीत की जा रही है, उस भूमि का वहां के किसानों को एल.ए.एक्ट और 1894 तथा सी.बी. एक्ट 1957 के अन्तर्गत अधिगृहीत भूमि के मूल्य तय करने के अधिकार जिला कलैक्टर को होते हैं। जो रेट वे तय करते हैं, वे बाजार रेट से बहुत कम होते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि एल.ए.एक्ट और सी.बी. एक्ट में अमेंडमेंट की जरूरत है, क्योंकि इतने वर्षों से इनमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है। इसके कारण किसानों को उनकी भूमि के उचित दाम नहीं मिलते हैं। मेरा चन्द्रपुर, नागपुर और यवतमाल का जो क्षेत्र है, उसमें डब्ल्यू.सी.एल. द्वारा किसानों की भूमि अधिगृहीत की जा रही है। वहां किसानों को एक एकड़ भूमि का केवल 20 से 40 हजार रुपए तक मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि बाजार में उसका दाम लाखों रुपए में है।

महोदया, जहां कोल इंडिया लिमिटेड भूमि अधिग्रहण कर रही है, वहीं पर एन.टी.पी.सी. ने जो भूमि अधिगृहीत की है, उसके उसने 8 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से कीमत दी है, जबकि डब्ल्यू.सी.एल. और कोल इंडिया लि. केवल 20 हजार रुपए प्रति एकड़ दाम देती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा कि सभी किसानों को उचित दाम मिले। इसके लिए प्रावधान किया जाए और एक्ट में अमेंडमेंट लाया जाए। मैं चाहता हूं कि किसानों के साथ भूमि अधिगृहीत करते समय निगोशिएशन भी की जाए और उनसे बात की जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसलिए वहां जिन किसानों की भूमि अधिगृहीत की जा रही है, उन सभी में बहुत रोष, नाराजगी और काफी गुस्सा है। इस कारण वहां किसान आन्दोलन करने जा रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जिन किसानों की भूमि कोल कंपनियों द्वारा ली जा रही है, उन्हें उचित एवं योग्य मूल्य दिया जाए।

महोदया, इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आर.आर. पॉलिसी 2008 के अन्तर्गत जिन किसानों की भूमि अधिगृहीत की जाती है, उन किसानों के परिवारों के एक-एक व्यक्ति को नौकरी देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन कोल इंडिया लि. और डब्ल्यू.सी.एल. में ऐसे हजारों मामले लंबित हैं, जिनमें परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जानी है, लेकिन उन्हें अभी तक नौकरी नहीं दी गई है। मैं सरकार से विनती करता हूं कि सभी किसानों को न्याय प्रदान किया जाए।